अपील सूचना अधिकार संख्या 114/2021 (GCMS 2021/183)(आईटीआई पोर्टल नं. 418683738092244) श्री संजय कुमार पुत्र सुरजा राम निवासी चक 1 एसजेएम तहसील रावला वाया – ई सेवा केन्द्र, 10 डीओएल – 335708 बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

22.08.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संजय कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2021 पेश कर, तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, किन्तु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर विभागीय व सूचना का अधिकार अधिनियम अनुसार कार्यवाही करने एवं उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2021 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप संख्या–3) सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक–एफ 40(76)ग्रावि/ नरेगा/कन्वर्जेस–वन/2014 जयपुर। विषय: ... आयोजित वृक्षारोपन अभियान बाबत। जिले में ... किये गये कार्य व उन पर खर्च राशि ... दस्तावेज।
2. उपरोक्त अभियान ... कार्यालय द्वारा पंचायत समितियों व जिला परिषद् के मध्य हुए पत्राचार को दर्शाने वाले दस्तावेज।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 114/2021

3. उपरोक्त अभियान की किसी जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण, मीटिंग के लिए की गई यात्रा को दर्शाने वाले दस्तावेज।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक ईजीएस/सूचना का अधिकार/आईईसी/21—22/434 दिनांक 09.11.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुरजाराम निवासी 1 एसजेएम तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर ने सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदिनांक तक इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही ना करने का आरोप लगाते हुये जिला कलक्टर में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना एकत्रित कर नियमानुसार राशि की मांग पत्र जरिये पत्रांक जिपग/ईजीएस/तक./418 दिनांक 23.09.2021 के जरिये प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दिये पते पर जरिये डक भिजवाया जा चुका है प्रार्थी ने इस कार्यालय में कभी सूचना प्राप्त करने हेतु राशि जमा नही करवायी ना ही कभी कोई पत्र व्यवहार किया है। प्रार्थी जानबुझ कर हैरान परेशान करने की नियत से श्रीमान जी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की है प्रार्थी को कभी भी सूचना से इन्कार नही किया गया है।

अतः प्रथम अपील प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील [illegible] होने के कारण निरस्त फरमाई जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:24 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/ईजीएस/तक/418 दिनांक 23.09.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर क्रम संख्या 1 से 3 बिन्दु की सूचना चाही है। आपकी सूचना निम्नानुसार है:
>
> 1. यह कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना 21 पृष्ठ है।
> 2. यह कि बिन्दु संख्या 2 की सूचना 05 पृष्ठ है।
> 3. बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना के संबंध में वृक्षारोपण अभियान को लेकर जिला स्तर पर बैठक का आयोजन किया जाकर संबंधितों को दिशा–निर्देश जारी किए गए।
>
> अतः आप द्वारा चाही गई सूचना कुल 26 पृष्ठों की है। किसी कार्यदिवस में नियमानुसार राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी
> मुख्य कार्यकारी अधिकारी
> जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने उक्त पत्र दिनांक 23.09.2021 से अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में सूचित किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** व अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब रिकॉर्ड दाखिल की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:24 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 22.[illegible]2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर